रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-208/2017/1769/22-2-2016-17(160)/2005

लखनऊ: दिनांक: 20 मार्च, 2017

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, आगरा** के सिद्धदोष **बन्दी राकेश (बन्दी संख्या-8020) पुत्र श्री गंगाराम, निवासी-मो0 कोटला, थाना-दक्षिण, जिला-फिरोजाबाद,** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-130/1975** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302/149, 147** के अधीन **दिनांक 02-12-1978** को मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, आगरा द्वारा दोषमुक्त किया गया। उक्त के विरूद्ध सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रि0 अपील सं0-1067/1978 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.10.1997 को मा0 अपर सत्र न्यायाल के निर्णय को खारिज करते हुए भा0द0वि0 की धारा 302/149, 147 के अन्तर्गत आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-208/2017/1769(1)/22-2-2016 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2-जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद।

4-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

5-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

6-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in